MR. SPEAKER : Order, order. It must end somewhere. Will the Government end the discrimination ?

SHRI B. R. BHAGAT : The question of discrimination towards Kerala or any other Government does not arise. It is not borne out by any facts. In regard to central projects, central assistance given to States, question of food supply, etc., if you look into it dispassionately and objectively, you will find that the question of discrimination does not arise. It is made out by the hon. members and some of his friends more for a temporary political advantage..(*Interruptions*).

SHRI E. K. NAYANAR : You are telling lies to Parliament. The facts speak for themselves.

SHRI B. R. BHAGAT : The facts speak very loudly and I am going to give the facts. Take central projects. We have a number of central projects in Kerala like the Rare Earth Factory, FACT third and fourth stage expansion, Machine Tool factory, Cochin Refinery, Cochin Shipyard, Cochin Fertilisers and so on. When the Cochin Fertiliser project is fully completed, it will add to the investment. Whatever project can be located in Kerala, certainly it will be located. But all these central projects, whether it is steel or any other heavy industry, they cannot be located except on techno-economic considerations. If the hon. member wants to compare a particular project located in Bihar or Orissa costing Rs. 400 or 500 crores and wants compensation to be given to Kerala because such a thing cannot be located in Kerala, that is not the consideration. As I said, projects are located on techno-economic considerations. So far as the fourth plan is concerned, I am certainly one with the hon. member that whatever is the legitimate claim of Kerala about location of projects that must be and shall be gone into.

Take Central assistance. Central assistance is an instrument by which the Centre tries to correct the imbalance as a result of particular conditions in any State. If you take this into consideration, in Kerala the *per capita* central assistance (1968-69) comes to Rs. 16, which is in the higher bracket. Only in the case of Nagaland or Kashmir or Assam or Rajasthan, it is higher for special reasons. If you take any other State like Mysore, Andhra or UP or Bihar, the *per capita* central assistance is lower than in Kerala.

SHRI E. K. NAYANAR : No, Sir.

SHRI B. R. BHAGAT: Yes; it is a fact. There is no use shouting that there is discrimination. These facts have to be gone into. The same thing applies to the question of food supply also. I do not want to go into any details. There is not a single item in regard to which the Kerala Members can prove with facts and figures that any discrimination is there. (*Interruptions*).

SHRI LOBO PRABHU : Sir, since this country has the misfortune or the good fortune of having a Communist Government in one of its States and since the Communists believe in the dictum "to each according to his needs and from each according to his means", may I enquire from the Minister whether this Communist Government has satisfied the needs of the people better in their Plan and whether it is more important because they can set an example—they have got more from the means of the people than other governments in other States (*Interruptions*) ?

MR. SPEAKER : Let us go to the next question—Shri Ramavatar Shastri—

SHRI LOBO PRABHU : Sir, is there no reply to my question ?

MR. SPEAKER : I have called the next question.

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा समाचार-पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

*482. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने साम्प्रदायिक भावनायें उकसाने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिनको उक्त सरकार ने विज्ञापन देना बन्द कर दिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि साम्प्रदायिक भावनायें फैलाने वाले समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की सूची में "आर्गेनाइजर", "मदर इण्डिया", "नव भारत टाइम्स" तथा "जागृति" को शामिल नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY): (a) to (c). The Government of Andhra Pradesh have stopped advertisements to 19 newspapers on some of the grounds, *viz.*, departing from the healthy norms and ethical standards, freely indulging in 'character assassination' indulging in cheap, malafide, distorted versions of news and views deliberately intended or otherwise to disturb public tranquillity, promote communal animosity, encourage partisan friction, foment disregard for the established regime by law and incite violence and thus aggravate disruption of communal harmony etc. The names of the newspapers are given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT-1743/68.]

(d) and (e). It is true that, Organiser, 'Mother India' and 'Nav Bharat Times' have not been included in the list. 'Jagriti', however, is included in the list. It is the discretion of the State Government to choose suitable organs for Government advertisements.

श्री रामावतार शास्त्री : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जून में काश्मीर में नैशनल इंटेग्रेशन कान्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद भारत के लोगों ने समझा था कि देश के अन्दर साम्प्रदायिकता का प्रचार करने पर, उसका विष वमन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इस दिशा में सरकार कोई कदम बढ़ाती हुई नजर नहीं आ रही है। आंध्र सरकार द्वारा पेश की गई सूची इन्होंने हमें दी है। उस में उन्नीस अखबारों के नाम हैं। उस में तेलेगू के छः अखबार हैं, कन्नर का एक अखबार है, उर्दू के सात अखबार हैं, हिन्दी का एक ही साप्ताहिक है "हिन्दूविजय" और अंग्रेजी के चार अखबार हैं। ये अखबार साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हुए पाए गए हैं। लेकिन और भी बहुत से अखबार देश के अन्दर हैं जो साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं और काश्मीर सम्मेलन के बाद भी कर रहे हैं, जैसे "आर्गेनाइजर" है, "पांचजन्य" है....

श्री हुकम चन्द कछवाय : "बिलट्ज" है।

श्री रामावतार शास्त्री : "मदर इंडिया" है, उर्दू का "प्रताप" है। इनके नाम इस सूची में नहीं हैं। यह तो आंध्र सरकार की बात हुई। लेकिन मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई इस तरह के अखबारों की सूची बनाई है जो दिनरात साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर आपने कोई सूची बनाई है तो उस सूची में किन किन अखबारों के नाम हैं तथा उनके पते क्या हैं और किन किन भाषाओं में वे अखबार छपते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : देशद्रोही पत्रों को भी उस में रखिये।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : यह सवाल आंध्र प्रदेश के बारे में था कि कौन कौन से पेपर्ज के बारे में उसने कार्रवाई की है। जहां तक गवर्नमैंट आफ इंडिया का सम्बन्ध है, उसके बारे में बहुत दफा सवाल किये गये हैं और मैंने जानकारी भी दी है। मैंने बताया है कि जो कम्युनल पेपर हैं उनको हम एडवर्टिजमैंट नहीं देते हैं। लेकिन हर एक के हित में यह नहीं है कि उनके नामों को यहां पर रखा जाए।

यह जो कार्रवाई है यह 18 अप्रैल को की गई थी। जो चीफ मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेंस हुई वह मई में हुई। और जो काश्मीर में कान्फ्रेंस हुई वह भी इसके बाद हुई।

श्री रामावतार शास्त्री : तेरह तारीख को "पैट्रियट" में एक खबर निकली है **"Incitement to Communal Hatred—Action Against Papers"** इस शीर्षक के अन्तर्गत यह खबर है कि सरकार ने "आर्गेनाइजर" "प्रताप", "मदर इंडिया", "अल जमीयत" के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। अगर यह खबर सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि इन पेपर्ज के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या कौन सी कार्रवाई करने का सरकार विचार कर रही है····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जरूरत क्या है?

श्री रामावतार शास्त्री : किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, यह मैं पूछ रहा हूं। "मदर इंडिया" का अगस्त का इशू मेरे हाथ में है। इसके जो एडीटर हैं श्री बाबू राव पटेल वह यहां एम० पी० हैं। इस अखबार के सम्पादकीय में यह बात कही गई है कि यहां जो मुसलमान रहते हैं 12.7 परसेंट इनका पेशा है, इनका ट्रेडीशन है रेप का, लूट का, वायोलेंस का। दूसरे यह भी कहा गया है कि सैक्यूलरिज्म हमारे कांस्टीट्यूशन में नहीं है। यह नेहरू जी का शब्द हैं और मुसलमानों को खुश करने के लिये ही सैक्युलरिज्म की बात लाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरफ सरकार का ध्यान गया है या नहीं और अगर गया है तो इस सम्पादकीय के बारे में और खास तौर से इन दो नुक्तों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि कोर्ट में भी केस चलते हैं। इसके ऊपर कड़ी नजर रखी गई है। किसी पर्टिकुलर के बारे में कहना आपके लिए भी उचित नहीं है, मेरे लिए भी उचित नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि कोर्ट में केस चलते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : जिस सम्पादकीय के बारे में मैंने कहा है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री बै० ना० कुरील : 'लिंक' और 'पैट्रियट' में कौन से ऐसे आर्टिकल छपे थे कि जो आब्जैक्शनेबल थे और जिन की वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया?

SHRI K. K. SHAH : *Link* and *Patriot* have been removed now by the Andhra Pradesh Government from that list.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आंध्र की सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए जो विधेयक पेश किया है उसका व्यापक विरोध हो रहा है। क्या केन्द्र के सूचना मंत्री आंध्र की सरकार को सलाह देंगे कि उस विधेयक को अंतिम रूप देने के पहले वह सरकार आंध्र की प्रेस से विचार विनिमय करे ताकि जहां तक साम्प्रदायिकता के उन्मूलन का सवाल है उस पर मतभेद न हो? साथ ही साथ विधेयक को जो व्यापक रूप दिया गया है उसके उस व्यापक रूप को संकुचित किया जा सके और प्रेस के साथ विचार विनिमय करने की कोई समान नीति बनाई जा सके?

श्री के० के० शाह : वह बिल अभी सिलेक्ट कमेटी में है। सिलेक्ट कमेटी में सब की राय ली जा रही है और प्रैस को भी पूछा गया है। हम ने भी इस तरफ ध्यान खींचा है कि पंजाब स्पेशल पावर्ज एक्ट और आंध्र के बिल में थोड़ा फर्क है और उस के बारे में जांच करनी चाहिए। जब यहां इस बारे में एक्ट बन गया, तो वह आटोमेटिकली एप्लिकेबल नहीं रहेगा।

SHRI K. SURYANARAYANA : May I know whether any other State Government has taken any action similar to this against other newspapers; if so, what is the Government of India's reaction to that expressed so far?

SHRI K. K. SHAH : This is a very wide question. We have been receiving complaints from many newspapers all over the country that some States have taken action and stopped their advertisements. It will be very difficult for me to collect all that information.

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़ : मंत्री महोदय ने बताया है कि आन्ध्र सरकार ने **लिंक, पैट्रियट** और **आन्ध्र ज्योति** पर लगाया गया प्रतिबन्ध वापिस ले लिया है । इससे पता चल जाता है कि आन्ध्र सरकार ने उन पत्रों पर प्रतिबंध लगा कर बहुत गलत काम किया था । आन्ध्र सरकार स्पेशल पावर्ज बिल ला चुकी है उस कानून के अनुसार सरकार प्रैस को कानफ़िस्केट करने का अधिकार लेना चाहती है । उस के मुताबिक वह यह भी व्यवस्था करने जा रही है कि अखबार में कोई भी बात छपने से पहले किसी आलतू-फालतू अफसर से उसे मन्जूर कराना चाहिए, उस को सेन्सर करा के छापना चाहिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस नये विधेयक की ये दोनों व्यवस्थायें संविधान के खिलाफ नहीं हैं और क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र सरकार को यह सलाह देगी कि इस किस्म की आपत्तिजनक बातों को उस विधेयक से तत्काल हटा दिया जाये ।

SHRI K. K. SHAH : We have drawn attention of the Andhra Government to the difference with the Punjab Special Powers Act of 1956 which was discussed in the Chief Ministers' Conference and which was, by and large, accepted as the model. Therefore we have pointed out that the power of a police officer to enter and search the premises, the power of seizure and a number of other things..(*Interruption.*)

SHRI GEORGE FERNANDES : Censorship.

SHRI K. K. SHAH : There is censorship in the Punjab Special Powers Act.

श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : वह भी ग़लत है । क्या मंत्री महोदय सेन्सरशिप का समर्थन करेंगे ?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य ने मेरी पहली बात तो सुनी नहीं और शिकायत कर रहे हैं । मैं ने कहा है कि सब स्टेट्स के चीफ़ मिनिस्टर्ज मिले थे और उन सब ने यह मन्जूर किया कि सब इसी लाइन पर चलें और उस के मुताबिक ही कार्यवाही करें । आन्ध्र प्रदेश के कानून में जो फ़र्क है, उस की तरफ हम ने ध्यान खींचा है । गवर्नमैंट आफ इंडिया यहां पर एक ऐसा बिल ला रही है । टेकनिकल वर्डज में जिस को प्री-सेन्सरसिप कहा जाता है, वह हो या न हो, इस के बारे में होम मिनिस्टर साहब एडीटर्ज से मिले थे । मैं भी वहां हाजिर था । इस बारे में जो कुछ भी रास्ता निकाला गया है, वह इस हाउस के सामने आयेगा । तब उस बिल का कोई उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि यह सबजेक्ट कान्करन्ट लिस्ट में है ।

SHRI ANANTRAO PATIL : May I know from the hon. Minister whether the Central Government is contemplating to bring forward a Bill in this House to have a Central Act instead of having different Acts in different States ; if so, when ? Secondly what are the reasons for continuing the advertisements to various newspapers belonging to the Narakesari Prakashan, Nagpur ?

MR. SPEAKER : He is asking about Nagpur. You can answer the first part.

SHRI K. K. SHAH : About the first part, it is likely to be introduced.

SHRI S. M. BANERJEE : Now that the Andhra Government has withdrawn the ban on *Link*, *Patriot* and *Andhra Jyoti*, I would like to know whether this ban was only due to the fact that they published certain articles condemning the nefarious action of Shri Thimma Reddy and his associates in harassing the Harijans ; if so, whether the Andhra Government has been instructed by the Centre, because it is a counterpart of the Congress Government here—if there was an Opposition Government there they would have taken them to task but because it is a Congress Government they are not taking them to task—to use their commonsense in checking the freedom of the press.

SHRI K. K. SHAH : The allegation that because it is a Congress Government there and therefore the Congress Government here is not taking action, is entirely wrong. The States are within their powers in this case. Whenever the Central Government can exercise a little influence, it has been doing so but it cannot go beyond the powers which are given to it.

SHRI S. M. BANERJEE : They have banned 19 papers. Out of them, they have withdrawn ban on 3 papers now. I do not know whether due to pressure or persuasion or cooperation of the hon. Minister they have withdrawn ban on those 3 papers. May I know whether they will use commonsense in checking the freedom of the press.

SHRI K. K. SHAH : I hope my hon. friend is not the only custodian of common sense in this world. I hope he will allow others to be the custodian of commonsense. The Chief Minister of Andhra has said on the floor of the House that within 3 months such cases to which their attention would be drawn would be reviewed. It is in the light of this revision that this action has been taken. That shows their mind is open and they are prepared to listen.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of personal explanation. I never claim monopoly of commonsense. But when commonsense was being distributed, the hon. Minister was standing at the last.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : In view of the arbitrary use of power by the States, will the hon. Minister be willing to appoint a Parliamentary Committee which can look into the complaints of various newspapers as to their being victimise and, secondly, will he consider whether a high-powered committee of retired Judges be appointed which can decide whether papers should be banned or not ?

SHRI K. K. SHAH : This is in the Concurrent List. As soon as the Parliament passes the Bill, as I have said, it will come into force.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : जब राष्ट्रीय एकता परिषद में यह सवाल आया था कि जो अखबार साम्प्रदायिक तनाव और विद्वेष पैदा करते हैं, उन को दिये जाने वाले विज्ञापन और अखबारी कागज़ का क्वोटा बन्द कर दिये जायें, उस समय यह सुझाव दिया गया था कि जो अखबार कानूनी कार्यवाही किये जाने के बाद दोषी पाये जायें, केवल उन्हीं के विरुद्ध यह कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सूची में जो 19 नाम दिये गये हैं, उन में एक 'प्रजावाणी' भी है, जो कर्नाटक का एक मशहूर पेपर है और जिस को हर साल अच्छी प्रिंटिंग और एडिटिंग आदि के लिये पारितोषिक मिलता है। इसी प्रकार उस सूची में दिये गये एक अन्य पत्र **जागृति** के बारे में मैं स्वयं जानता हूं कि वह एक अच्छा साप्ताहिक है। **पेट्रियट** और **लिंक** से ले कर **स्वा, युवा** और **मघवा** सब इस सूची में जोड़े गये हैं। यदि सरकार के हाथ में यह अधिकार चला गया, तो जो भी अखबार सरकार के खिलाफ़ कुछ लिखेगा, उस अखबार के विज्ञापन और कागजी क्वोटा को बन्द करने का अधिकार सरकार को मिल जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सुझाव राष्ट्रीय एकता परिषद में दिया गया था, क्या आन्ध्र सरकार ने उस के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में उस का ध्यान आकृष्ट किया है ?

श्री के० के० शाह : यह कार्यवाही काश्मीर में नैशनल इनटैग्रेशन कौंसिल की **मीटिंग** से पहले 18 अप्रैल, 1968 को की गई। यह सही है कि यह तय हुआ था कि कोर्ट में केस चलने के बाद अगर किसी अखबार के खिलाफ़ अपराध साबित हो जाये, तब उसके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चहिये जो नया एक्ट आयेगा, उस में हम सब मिल कर जो कुछ मन्जूर करेंगे, उस के मुताबिक ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री शिव नारायण : आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए, जिन अखबारों ने उनका प्रचार किया, उन को क्यों बैन किया गया क्या वह भी साम्प्रदायिकता है ?

श्री के० के० शाह : चीफ़ मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में सिर्फ़ साम्प्रदायिकता का आधार नहीं किया है। उन्होंने कई और रीजन्स भी दिये हैं?

श्री एस० एम० जोशी : मंत्री महोदय ने जो जानकारी आन्ध्र हुकूमत से हासिल की है वह सब इस सदन को दी है। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आन्ध्र हुकूमत से यह भी जानकारी ली है कि जिन 19 पत्रों के नाम दिये गये हैं, वे क्यों ब्लैकलिस्ट किये गये। उस ने तीन पत्रों को बाद में बरी कर दिया है। क्या सरकार बाकी पत्रों के बारे में भी कोई कोशिश कर रही है और क्या उस ने आन्ध्र हुकूमत से कहा है कि यह बात हमें ठीक नहीं लगती है; उन को भी छोड़ दिया जाये? इस तरह से क्योंकि सवाल में यह पूछा है—

"if so, the reaction of the Government thereto."

तो हम पूरी मालूमात नहीं चाहते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि वह देना ठीक नहीं है लेकिन यह मैं जरूर चाहूंगा कि इन के बारे में जो बैन नहीं हैं और ब्लैक लिस्ट किया है तो इन को ब्लैक लिस्ट क्यों किया है यह भी तो आप को बताया गया होगा और उस में से कई लोगों को बरी भी किया है तो क्या आप उन के साथ और बातचीत कर रहे हैं जिस से और भी दूसरे लोगों का चांस लिया जायगा?

श्री के० के० शाह : मैं ने जैसा बताया है एक ही कारण नहीं दिया है, दस बारह कारण दिए हैं। इन में से सम आफ देम यह कहा है। लेकिन यह जरूर कहा है हमारे कहने से भी और इन के कहने से भी कहा है कि हम तीन महीने तक जो कोई रेप्रेजेंटेशन आयेगा, उस की दोबारा जांच कर के तय करेंगे कि हम ने जो कार्यवाही की वह सही है या नहीं और इस ढंग की कार्यवाही हो रही है।

SHRI DINKAR DESAI : May I know whether there is a Press Advisory Council in Andhra Pradesh and whether there are such Councils in other States also? If there are no such Press Advisory Councils, will the hon. Minister bring forward a Central legislation providing that there must be such Press Advisory Council in every State as well as at the Centre and no action should be taken against any Press unless the matter is brought before the Press Advisory Council for their opinion?

SHRI K. K. SHAH : At present there is no such arrangement, but something is being considered.

SHRI S. M. BANERJEE : Something is better than nothing.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : The Minister was pleased to say that the Andhra Government review every two months or every three months. The present exclusion of about five papers..(*Interruptions*) More than five papers have been excluded. The answer is not complete. What I want to know is whether the exclusion was as a result of this inquiry or whether it was merely a further reflection that things should be done a little more sensibly.

SHRI K. K. SHAH : On 15th July, 1968, the Chief Minister made a statement on the floor of the House and said that, on representation, an inquiry was being made, and as a result of that inquiry, these papers have been excluded.

FOURTH PLAN ALLOCATIONS FOR ORISSA

483. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Fourth Plan allocations for Orissa were discussed with the State Government;

(b) if so, the details of the Fourth Plan programmes which the Orissa Government have submitted to the Planning Commission and the Central Government;

(c) the plan outlay indicated therein;

(d) the resources proposed to be raised by the State; and

(e) whether tentative plan outlays for Orissa have been decided?